रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 1989/आषाढ़ 30, 1911
No. 136] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 1989/ASADHA 30, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मन्त्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 147—आई टी सी (पी एन)/88—91

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1989

विषय :—अप्रैल 1988 मार्च, 1989 के लिए आयात निर्यात नीति।

फा. सं. आई. पी. सी./4/5 (112)/85—88:— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1—आई टी सी (पी एन)/88—91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के

अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1988 मार्च, 1991 के लिए यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर से ध्यान दिलाया जाता है ।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाए :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1988-91 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	19(18)	अध्याय-5 कच्चे माल संघटकों और उपभोज्यों का आयात पैरा (60) उप पैरा(5)	इस उप पैरा की तीसरी पंक्ति हटा दी जाएगी
2.	20 (19)	अध्याय- 5 कच्चे माल संघटकों और उपभोज्यों का आयात पैरा -63	उप पैरा (1) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा को जोडा जाएगा :— हकदारी की परिगणना (1क) संपूरक लाईसेंस 12 मास की अवधि के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। प्रायोजक प्राधिकारी 18 मास की आवश्यकताओं के आधार पर अप्रयुक्त लाईसेंस

1	2	3	4
			मौजूदा स्टाक और निर्माणाधीन स्टाक के मूल्य को घटा कर, हकदारी की गणना करेगा। देशी चरणवार विनिर्माणक कार्यक्रम की यूनिट के मामले में आवेदन पत्र चरणवार विनिर्माणक कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए।
3. 170(169)	परिशिष्ट–6 खुले सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत आयात को शासित करने वाली शर्त सं. (31)		इस शर्त के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:— "जिन मामलों में तीस दिन की निर्धारित अवधि के बाद ठेके के पंजीकरण के लिए अनुरोध किया जाए, उनमें आयातक को पंजीकरण के लिए ठेका दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए पूरे औचित्य के साथ विकास आयुक्त (लौह तथा इस्पात), कलकत्ता से सम्पर्क करना चाहिए। विकास आयुक्त (लौह तथा इस्पात) गुण–अवगुण के आधार पर ऐसे मामलों पर विचार करेगा और देरी को माफ करने के बाद ठेके का पंजीकरण करेगा"

3. आयात तथा निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोक हित में किए गए हैं।

4. कालम 2 में कोष्ठक में दी गई संख्या 31 मार्च, 1989 तक यथासंशोधित आयात तथा निर्यात नीति की पृष्ठ संख्या है।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 147 -ITC(PN)/88-91

NEW DELHI THE 21ST JULY, 1989

Subject : Import and Export Policy for April 1988-March 1991.

F.No. IPC/4/5(112)/85-88 : —Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1988 - March 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/88-91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below : —

Sl.	Page No. of Import and Export Policy, 1988-91 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	19 (18)	Chapter V Import of Raw Materials, Components and Consumables. Paragraph 60 Sub-paragraph (5)	The third sentence in this sub-paragraph shall be deleted.
2.	20 (19)	Chapter V Import of Raw Materials, Components and Consumables Paragraph 63	After sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be added : — "Calculation of Entitlement

1	2	3	4
			(1A) Supplementary licences are granted to cover the requirements for a period of 12 months. The entitlement will be worked out by the sponsoring authority on the basis of the requirements for 18 months after deducting the value of unutilised licences, stocks in hand and those in the pipeline. In the case of units under the Phased Manufacturing Programme of Indigenisation, the application should be as per the Phased Manufacturing Programme."
3.	170 (169)	Appendix 6 Conditions governing Imports under Open General Licence Condition No. (31)	The following shall be added at the end of this condition : — "In cases where the request for registration of contract is after the stipulated period of thirty days, the importer shall be required to approach the Development Commissioner (Iron & Steel), Calcutta, with full justifications for delay in submission of contract documents for registration. The Development Commissioner (Iron & Steel) will consider such cases on merit and register the contract after condonation of delay."

3. The above amendments in the Import and Export Policy have been made in public interest.

4. The number in brackets in Column 2 indicates the page number of the Import and Export Policy as amended upto 31st March, 1989.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports and Export

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989